राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठकें

3232. श्री अजित जोगी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें किन-किन तारीखों को आयोजित की गयी थीं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) वर्ष 1995 के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास

3233. प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को और अधिक धनराशि आबंटित किये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) पिछली पंचवर्षीय योजना में आबंटित धनराशि की तुलना में इस योजना में आबंटित की गयी धनराशि कितनी कम है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) लघु उद्योगों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से अधिक धन-राशि के, आबंटन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों के विकास हेतु आठवीं योजना परिव्यय 261.28 करोड़ रुपये हैं जो सातवीं योजना के 171.59 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिक हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

3234. प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस राशि के वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) से (ग) सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राज्य की किसी सम्पूर्ण योजना के लिए किया जाता है और यह उसके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से अलग से नहीं जुड़ा है ।

सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जिसे दिसम्बर 1991 में संशोधित किया गया था । इस फार्मूले के तहत राज्यों को कुल मान्य केन्द्रीय सहायता का 30% भाग 10 विशेष श्रेणी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखा जाता है । ये 10 राज्य हैं—अरुणाचलम प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,